

**नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय  
सेक्टर - 19 अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)**

**अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र**

क्रमांक /00/ 2068-A-A /फायर सर्विस / एन॰ओ॰सी॰ /2025/ बिलासपुर

दिनांक : 24/03/2025


प्रमाणित किया जाता है कि श्री UPKAR RAI (SECRETARY) के परिसर NEAR HIGH COURT, RAIPUR ROAD BODRI, DIST. BILASPUR (C.G.) में स्थित LCIT PUBLIC SCHOOL का इस विभाग द्वारा ""अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र"" , पत्र क्रमांक- 2068-A दिनांक 13/09/2023 को जारी किया गया था। इस परिसर का पुनः निरीक्षण इस विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री दीपांकुर सामुएल नाथ द्वारा श्री उपकार राय की उपस्थिति में दिनांक 22/03/2025 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV 2016 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबंधित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

**शर्तें**

- 1 सभी अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वारा व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूंक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
- 2 अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
- 3 अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का माक डिल कर इसका रिकार्ड बना कर रखा जावे।
- 4 बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
- 5 मकान मालिक/कबजाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
- 6 अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से LCIT PUBLIC SCHOOL में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारू रूप से चालू रखने की ज़िम्मेदारी पूर्णतः UPKAR RAI (SECRETARY) की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी।
- 7 निरीक्षण टीम की अनुशंसा अनुसार परिसर में अग्निशमन हेतु फर्स्ट एड होस रील सिस्टम स्थापित करने की शर्त पर संस्था के अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाता है।



जारी दिनांक : 24/03/2025



प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर